



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 10.03.2025

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

### थाना सरसावा पुलिस द्वारा ट्रैक्टर-ट्राली चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर-ट्राली बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26.02.2025 को वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी मौहल्ला हजारा कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी का ट्रैक्टर-ट्राली डबल जोडा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 68/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए घटना के सफल अनावरण हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.मुनव्वर हसन पुत्र मौसम अली 2.साजिद पुत्र मौसम अली निवासीगण ग्राम हाशिमपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को सरसावा टोल प्लाजा के पास से चोरी किये गये ट्रैक्टर ट्राली सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम नशे के आदी है अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करते है चोरी किए गये सामान को बेचकर मिले पैसों को हम नशा करने एवं मौज मस्ती में खर्च कर देते है दिनांक 25/26.02.2025 की रात्रि में हमने अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर सैन्ट मेरी स्कूल कस्बा सरसावा की तरफ जाने वाले रास्ते के गेट के सामने ये ट्रैक्टर-ट्राली चोरी किया था।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. मुनव्वर हसन पुत्र मौसम अली निवासी ग्राम हाशिमपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. साजिद पुत्र मौसम अली निवासी ग्राम हाशिमपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

#### **अभियुक्त मुनव्वर का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 68/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 215/2023 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

#### **अभियुक्त साजिद का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 68/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

#### **बरामदगी का विवरण:-**

➤ 01 ट्रैक्टर-ट्राली (UP 11 CB 9850)

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
- 2.है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
- 3.का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 10.03.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 119**

**ग्राम अवैध चरस बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु नशे के कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **सलमान उर्फ मुन्ना पुत्र फुरकान निवासी पेन्टर वाली गली सिराज कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** को परवेज की आरा मशीन के पास बाग के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 119 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 94/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब यह चरस है जिसे मैं जंगल में भांग रगड़ रहे अज्ञात व्यक्तियों से खरीदकर लाया था इस चरस को कुछ तो मैं पी लेता हूँ और कुछ को बेच देता हूँ जिससे मेरा खर्च चल जाता है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

सलमान उर्फ मुन्ना पुत्र फुरकान निवासी पेन्टर वाली गली सिराज कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर।

### **बरामदगी का विवरण:-**

➤ 119 ग्राम चरस

### **गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 179/2017 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 479/2017 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 182/2018 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 033/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 453/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 375/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 187/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 316/2024 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 83/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 272/19 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 635/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 75/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

- 13.मु0अ0सं0 196/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर  
14.मु0अ0सं0 197/22 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. हेकमल कौशिक 02 0का0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. का0 1460 अंकित पंवार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 10.03.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**  
**थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब (अरुणाचल प्रदेश मार्का) बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशा तस्कर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **आसिफ पुत्र असलम निवासी टावर वाली गली मेहराज मस्जिद नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को ढमोला नदी के किनारे बने एक कमरे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 10 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 39/2025 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

आसिफ पुत्र असलम निवासी टावर वाली गली मेहराज मस्जिद नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण:-**

➤ 10 बोतल अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. का0 1354 अभिषेक खोकर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।